

**The Constitution (Amendment) Bill, 2003
(Insertion of New Article 371J)**

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY (Karnataka): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I introduce the Bill.

**The Constitution (Amendment) Bill, 2003
(To amend Article 202)**

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Dr. T. Subbarami Reddy - not present.

Now, we will take up further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999. Shri Mool Chand Meena.

**The Constitution (Amendment) Bill, 1999
(Inertion of New Article 21A)-contd.**

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष सहोदय, कंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 1999 जो श्री संतोष बाग़डोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह एक आवश्यकता है। उपसभाध्यक्ष महादय, आदमी की एकांतता बहुत आवश्यक है। आज ही नहीं पहले भी आदमी एकांत ही रहना चाहता था। हमारा पौराणिक इतिहास बतलाता है कि वनवास के दौरान रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ एकांत वास करते थे। राजा-महाराजा भी अपनी एकांतता सुरक्षित रखते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी निर्दोष आदमी को भी, यदि वह दोषी है तब तो उसको गिरफ्तार करें, उसका अखबारों में प्रचार करें वहां तक तो ठीक है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को केवल एक आंशिक सूचना और संदेह के ऊपर प्रताड़ित करना और यदि वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ कमरे में है तो संदिग्ध सूचना के आधार पर हम उसकी पत्नी के सामने उस कमरे में घुस जाएं और उस वक्त कमरे में वह किस अवस्था में होंगे इस चीज को बे लोग नहीं सोचते हैं। ऐसी घटनाएं भी कई बार सामने आती हैं। इसलिए आंशिक सूचना के आधार पर यदि हम किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो जो निष्पक्ष जांच होती है उसमें संदेह पैदा हो जाता है और निर्णय

होने से पहले ही आदमी दंडित हो जाता है। इसलिए सूचना मिलने पर पहले उसकी जांच की जाए और जांच होने के बाद यदि कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इस बिल के लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि आप जगह-जहग जिनी स्वार्थ के लिए और आप देख लौजिए इस देश के अंदर ही। एक कानून के अंदर लालू प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुलायम सिंह जी को छूट दे दी जाती है। आज* के खिलाफ इतना बड़ा काम होने के बाद-एक सीबीआई का डायरेक्टर, जिनके घर में ऊपर वह रहता हो और उसके नीचे तस्करी का, मादक द्रव्यों का धंधा चलता हो, जो डायरेक्टर रहा हो, आज उसको छूट दे दी गयी है, उसको गवाह ही बना लिया गया है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम) : वह डायरेक्टर नहीं था।

श्री मूलचन्द मीणा: डिप्टी डायरेक्टर ही सही। डायरेक्टर नहीं था(व्यवधान).... बड़ा अधिकारी था। लेकिन सीबीआई, जिस पर हम विश्वास करते हैं और उसका कर्मचारी या अधिकारी अपने घर में ये सब धंधे कराए, यह उसको कौन-सा तोहफा दिया जा रहा है कि आप गवाह ही बन जाइए, आप गिरफ्तार मत होइए?(व्यवधान)....

श्री संघ प्रिय गौतम: यह विषय से संबंधित नहीं है।(व्यवधान)....

श्री मूल चन्द मीणा: सबजेक्ट पर ही आ रहा हूं। बिना सूचना के लालू प्रसाद यादव को तो गिरफ्तार कर लेते हैं(व्यवधान)....

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान): यह अपनी-अपनी समझ की बात है कि कौन सा सबजैक्ट में है और कौन-सा नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम: आपके विषय से संबंधित नहीं है।(व्यवधान)....

श्री मूल चन्द मीणा: मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव को आप गिरफ्तार कर रहे हैं-बिना सूचना के, मामूली सी, आंशिक सूचना के आधार पर। न्यायालय उनको छुटकारा दे रहा है, न्यायालय उनको छोड़ रहा है और आप उनको गिरफ्तार करके प्रचार कर रहे हो। दूसरी तरफ जो दोषी आदमी है, उरी की बातों पर विश्वास करते हैं। जो अपने घर में ऐसा धंधा करता है, उसको आप छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, संतोष बागड़ोदिया जी का इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यह था कि आदमी की एकांतता को भंग नहीं करना चाहिए। कई बार अखबार में पब्लिश हो जाता है कि इसके घर छापा डाला। लोग सोचते हैं कि ना जाने क्या-क्या मिला होगा? अखबारों

*Expunged as ordered by the Chair.

में जाना ही नहीं चाहिए। यदि वह दोषी है, उसके खिलाफ कुछ निकला है तब अखबार में प्रचार करें। एक बार आदमी की बदनामी हो जाती है और उस बदनामी को धोने के लिए अखबारों में जब वह जाता है तो अखबार वाले उसकी बात नहीं छोपते।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा): पंजाब में कैप्टन साहब को समझाओ.....

श्री मूल चन्द मीणा: अरविंदर सिंह जो छापे डाल रहे हैं, उसमें तो निकल रहा है। (व्यवधान).... उसको बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। (व्यवधान).... आपको पता चल जाएगा जब सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा। (व्यवधान).... जब सामने आएगा तो पता लग जाएगा। आप उसको बचाने की कोशिश मत करना। दोषी हैं तो उसको दंड मिलना चाहिए, यह हम भी चाहते हैं।(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य: अगर कोई निर्दोष हो तो उसे दोषी नहीं बनाना चाहिए।(व्यवधान).

श्री मूल चन्द मीणा: निर्दोष कोई हैं ही नहीं। जो छापे डल रहे हैं, वे निर्दोष नहीं हैं। आप पता लगाइए, पांच साल में उन्होंने कितना* था।(व्यवधान).... अरविंदर जी सही आदमी हैं जो आज यह काम कर रहे हैं। बल्कि मुझे अफसोस है, इस देश के उप प्रधान मंत्री के ऊपर(व्यवधान).

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदय, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। यह अनपार्लियमेंटरी है। The person, against whom he is speaking, is not present.

श्री सुरेन्द्र लाठ (उड़ीसा): कितना था, यह कहना गलत है।(व्यवधान).... इसमें कोई ओरैटीसिटी नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या गलत है? (व्यवधान)....

श्री संघ प्रिय गौतमः इसमें आपको आपत्ति क्या है? इसमें क्या गलत है?(व्यवधान).

श्री सुरेन्द्र लाठः* है, यह कहां से आ गया?(व्यवधान)....

श्री संघ प्रिय गौतमः यह तो आपने उठाया है(व्यवधान).....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): If a Member is not present, you cannot comment on him.

श्री मूल चन्द मीणा: मैंने किसी का नाम नहीं लिया।(व्यवधान).... महोदय, अगर मैंने किसी का नाम लिया है तो आप रिकार्ड से निकाल देना(व्यवधान)....

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संतोष बागड़ोदिया: वे कह रहे हैं तो आपको गलत लग रहा है, यह क्या बात है?(व्यवधान)....

श्री मूल चन्द मीणा: संतोष जी, मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं।(व्यवधान).... ये कह रहे हैं कि निकाल दीखिए।(व्यवधान).... मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि पांच साल में जिन लोगों ने* है उनके घर छापा डाला जाए।(व्यवधान)....

प्रो. रामबाबू सिंह बर्मा (उत्तर प्रदेश):* है, यह कहना गलत है।(व्यवधान)....

श्री बलबीर के पुंज (उत्तर प्रदेश): पांच वर्ष में जिन्होंने* वह ठीक है। जिन्होंने 40 साल तक उनका भी हिसाब होना चाहिए।(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के. पटेल): रिकार्ड देखा जाएगा और अगर अनपार्लियामेंटरी होगा तो निकाला जाएगा।

श्री सुरेन्द्र लाठ: अगर यही बात करनी है कि किसने* है(व्यवधान),... अगर चर्चा करनी है कि किसने कितना* है तो इस पर बहस की ली जाए(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (डा. ए.के. पटेल): अगर अनपार्लियामेंटरी होगा तो निकाल दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द मीणा: जेल जाओगे तो पता लगेगा कितना* है।(व्यवधान)....

प्रो. रामबाबू सिंह बर्मा: महोदय, जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ आरोप लगाना गलत है, परम्पराओं के विरुद्ध है, इसको निकाल देना चाहिए....(व्यवधान)....

श्री मूल चन्द मीणा: मैं* का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मुझमें यह कमी है। जो* रहे हैं ... (व्यवधान).... दर्द क्यों होता है,* है तो सामने आ जाएगा, न्यायालय में फैसला होगा।

आपको दर्द क्यों होता है? मुझे अफसोस होता है देश के उपप्रधान मंत्री के ऊपर। उन्होंने इस प्रकार का एक स्टेटमेंट देकर जो जांच हो रही थी... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please dont' try to create any controversy.(Interruptions)...

श्री मूल चन्द मीणा: जो निष्क्रिय जांच हो रही थी, उसमें बाधा डालने की कोशिश की। ... (व्यवधान)...

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री संतोष बागड़ोदिया: यह कोई अनपालियामेंटरी है क्या? ... (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठः अगर इस बिल पर इस तरह चर्चा करनी है तो ठीक है। ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Moolchandji, please speak on the subject only. Don't try to deviate.

श्री सुरेन्द्र लाठः आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? ... (व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा: महोदय, मूल चन्द जी मूल विषय पर तो ही नहीं। ... (व्यवधान)...

श्री बलबीर कोऽ पुंजः सभापति जी, मूल चन्द जी मूल विषय पर तो बिलकूल ही नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने* की आत करनी है तो पिछले चालीस साल की* की आत भी कीजिए, बोफोर्स में जो* हुई है, उसकी आत भी कीजिए। ... (व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न पर ही बोल रहा हूँ। ... (व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप बीच में मत बोलिए। ... (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र लाठः आपको बीच में बोलने की छूट है क्या?

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, उनको बोलना है तो उनको भी चांस दे दीजिए लेकिन बीच में मत बोलने दीजिए।

प्रो॰ रामबख्ता सिंह वर्मा: मान्यवर, मेरा एक ख्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मुझे एक मिनट दिया जाए। मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है और जो अपनी सफाई नहीं दे सकता, उस पर आरोप लगाना गलत है, असंसदीय है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उतना हिस्सा प्रोसीडिंग्ज़ में से निकाल दिया जाए। ... (व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: कोई नाम नहीं लिया है। नाम तो इन्होंने लिया ही नहीं। जब नाम नहीं लिया तो असंसदीय क्या है? आपने नाम लिया है बादल जी का। इन्होंने नाम नहीं लिया।

श्री मूल चन्द मीणा: इनको पता है कि गलत काम किया है, इसलिए कहते हैं ये। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। ... (व्यवधान) ... मैंने तो अधिकारी बताया था। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (झौ ए के पटेल): देखिए.....प्लीज.....हम डिबेट देख लेंगे। ... (व्यवधान)...

प्रो॰ रामबख्ता सिंह वर्मा: आपने डायरेक्टर का नाम लिया है, डिप्टी डायरेक्टर का नाम लिया है।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री मूल चन्द्र मीणा: डिस्ट्री डायरेक्टर तो कितने होते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): It is an unparliamentary word. The word* is unparliamentary.

श्री संतोष बागड़ोदिया: हाँ, जो अनपार्लियर्मेटरी है, उसे निकाल दीजिए, कोई बात नहीं।

श्री मूल चन्द्र मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब व्यक्ति की एकांतता भंग होती है तब इससे उसको जो सामाजिक हानि होती है, उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। जो अधिकारी और कर्मचारी एकांतता को भंग करता है, वह द्वेष के कारण ऐसा करता है। मामूली आंशिक सूचना के आधार पर यदि कोई किसी को ज़बरदस्ती तंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर किसी आदमी की स्वतंत्रता, एकांतता कार्यम रह पाएगी नहीं तो जैसा आज मन-मरज़ी से किया जाता है—यह मुझे सूट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा और जो सूट नहीं करता है, उसके खिलाफ आंशिक सूचना पर भी कार्रवाई कर दे उसको बदनाम करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए। इससे उसकी स्वतंत्रता और जो सामाजिक न्याय है, वह नहीं मिलता है। ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए विधेयक लाना चाहिए और बनाना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ।

شُری ابواءاصمِ عظیٰ ”اُتر پر دلیش“ : اپ سچاڈ کیکش بہوئے، جو کاشمی نیوشن اینٹ میٹ بل شری سنتوش باگڈ دیا جی کے ذریعے لایا گیا ہے، یہ بہت اچھا مل ہے۔ بھارت ورش میں جنود حماں کی دھارا ۲۱۔ ۲۱ مول ادھر کاروں کا سب سے بڑا اوتاؤ ہے۔ سنودھان بنا نے والوں نے جان بوجھ کر اس طرح کی دھارا بنائی کر کی کی جان اور مال ساتھ میں کسی بھی بیکن کے ہاتھ پہنچنے تو۔ جب تک کوئی تاثویٰ پر وسیع را پڑھ نہ کرے، جب تک اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آزادی کی بھائی کے دوں دوں کبھی پارٹیوں کی میٹنگ کر کے جس میں کامگیریں کے لوگ، بندوں ہما سچا کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود تھے، مرجوم موتی الی نہر کی انہوں ائمہ میں کمیشن قائم کیا گیا، اس کمیشن نے انگریزی سرکار نے ساتھ سب سے پہلے یہ تجویز پیش کی کہ جان اور مال نے لے افغانیت کو اور ہیکانزیں جب تک آزادی نہیں رکھتے۔ اختیار کیا جائے۔ جنگ آزادی کے دوران جب بھی کسی قانون میں بدلاو کا موقع آیا، اتم لیدروں نے

*Expunged as ordered by the Chair.

†Transliteration of Urdu Script.

اگر بیوں کے سامنے سول لبرٹی، شہری آزادی کا مسئلہ بار بار اٹھایا اور اس لئے ہمارے ملک کا ناگزیر ک ایک آزمیں تیار ہوا۔ اس آئین پر عوام کے سامنے آزادی کی جگہ کے دور میں جو قول کیا گیا تھا، اسکے مطابق آئین کی وجہ پر ۲۱ کو جزو ایسا۔ یہ ہمارے آئین کے فیادی من کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کے بارے میں پریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اس وجہ پر اکو آگے تو بڑھایا جا سکتا ہے آئین پار یعنی کہی اس وجہ پر اکو بدل نہیں سکتی، اس وجہ پر اکو آگے بڑھا سکتی ہے، لوگوں کو حق دلا سکتی ہے۔ اس وجہ پر اکو بدل نے والے لیڈر ان نے کسی بھی ہندوستانی شہری کو اس بات کا حق دیا کہ وہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لئے سیدھے پریم کورٹ کا دروازہ کھکھلانا سکتا ہے۔ اس وجہ پر اکی حفاظت کے لئے دنیا میں ایک جسمی کمیشن بنایا گیا۔ ہمارے دلیش بھارت ورش میں زونیں رائٹ کٹشن بنایا گیا۔ اسکے باوجود بھی ہم شہریوں کی زندگی فی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں مانیجے ساتھی کی کو اس بات کے لئے مبارک بادو یا جو ہوں آئے سرکار اور شہزاد کا وصیان کھینچنے کے لئے وہ یہ مستحق ہیں لائے اور مجھے اس میں کچھ بولنے کا حق دیا۔ اس جموروی رات میں انسان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ سارے راجیوں میں پوس کاراج جمل رہا ہے۔ آپ کبھی کو یہ بات جان کر جیرانی ہو گی، تعجب ہو گا کہ ہمارا شری میں ایک نوجوان جس نے اجیسٹر گریڈ میں گریجویشن کی، اے بھارت ورش میں نوکری نہیں ملی، وہ ادھر ادھر بہت دوزہ نوکری کے لئے دھنی چلا گیا۔ وہاں سے فیڑھ سال کے بعد دسمبر، ۲۰۰۲ میں چھٹی پر آیا کہ آکر بہن کی شادی کروانا لیکن ممکن کی پوس آئی اور اس نوجوان کو زبردست گرفتار کر کے لے گئی۔ مانیچے بچ کے سامنے، ویش بچ کے سامنے اسے پوتا عدالت میں پیش کیا گیا۔ ۲۳ جنوری سے ۲۷ ارجنوری تک اس کاری ماذلیا کیا۔ اس ریمانڈ سے ورنان پوس نے اس نوجہ ایک وائی بہنی طرح سے مارا کہ اس نے منھ سے فون پھینک دیا اور وہ بیچارہ نوجوان مر گیا۔ جب عدالت نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو عدالت میں پیش کیا جائے تو ان پوس والوں نے ایک ارادہ رچا۔ برادری کو کورٹ میں آکر کہا کہ چار پوس والے اسے جیپ میں بٹھا کر اور گگ آہا وہ کوائزی پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں جیپ کا

ایکیڈیٹ ہو گیا، جیپ پلت گئی اور بیچارے چاروں پوس والے، جو بڑے ہٹکنے کئے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر ہتھڑی میں بندھا ہوا ایک نوجوان بھاگ گیا۔ جب کورٹ میں مقدمہ گیانا تو جنگ صاحب کو اس بات کا لٹک ہوا کہ نہیں، اسکی ہتھیار دی گئی ہے۔ لیکن اسے آج تک انعام نہیں مل سکا۔ اسکی ماں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ صرف میرے بیچ کی لاش مجھے دے دی جائے۔ میں اسے کافی میں پہنچ کر اپنے مانعے قبرستان میں ڈال دوں گی، میری بھی ڈیماڑ ہے لیکن اسکی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ وہ چاروں طرف بھاگ رہی ہے لیکن کوئی اسکی مدد کے لئے نہیں آ رہا ہے۔ مانعے عدالت نے پوس کی تجویز پر یقین نہیں کیا لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ جیسے ہر یعنی اوت پیڑن اور ہلا اتھرون کو لیکر ویش تانون بنے ہیں۔ اسی طرز پر آئیں کی اس وحدادا۔ ۲۱ کی مضبوطی کے لئے پوس کنڈی میں ہونے والی موت اور پوس کنڈی سے بھاگنے والے ترم کے خلاف ان پر مقدمہ چالایا جائے، ہتھیا کا مقدمہ چالایا جائے۔ مہودے، میں تمام لوگوں کا دھیان اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اتر پر دیش کی ودھان سمجھا میں درود میں سرخون دے رہا ہے اس کے اوپر رائکا لگا ہوا ہے، اور کہیں رائکا کا مقدمہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمارے مانعے ملامم سنگھ یادو گی اور امر سنگھ ہی کے اوپر ایک ہی دن میں ۲۵۰ مقدمے اتر پر دیش کے بھی مغلوں میں لگائے گئے۔ اتر پر دیش کی سرکار دن رات اسی میں گئی ہوئی ہے کہ کس طرح سے مان وادی پارٹی کے درکر، جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، فرضی مقدمے ہا کر جیل نہیں بھجیں دیا جائے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ مانعے نیتاں کے ال آباد نے فوراً مداخلت کی۔ اگر یہ مداخلت نہیں کی جوتی تو اس وقت ہمارے تمام مانعے نیتاں جیل میں پڑے ہوتے۔ ابھی بھی اتنے پر دیش کی سرکار اپنی عرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ یہ کوشش گئی ہوئی ہے کہ کیسے بھی ان نیتاوں کو جیل، میں ڈال دیا جائے۔ تمام ایسے کارنے کرتا ہوں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے ان کے خلاف درجنوں مقدمے درست کئے جا رہے ہیں۔ اس وحیک کے ماتحت سے سرکار سے سیاپیل کرتا ہوں کہ اتر پر دیش میں ماٹاوی اور جیکار آئیں گے کی، ایک نہم کو بھیجا جائے، اسکی پوری اکتوبر نی کی جائے۔ قانون کی وجہیاں اڑانے والی سرکار کے قدم کی جانچ کی ایک رپورٹ دیش کے مانعے نہیں کی جائے۔

دوسرے معاہدہ کو لکھا تھا ہے، جو ہمارے ایک مائیں سبھرنے اٹھایا تھا کہ پشاور ستر سے سکر افیم کی تکری
میں پہنچتے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے اس معاملے کو اٹھایا۔ اور وہ لوگ جو روشنی کی رکشا کے لئے رکھے
گئے ہیں، ایسے افسر جواہر میں پہنچتے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ
دوسرے معاہدہ کیجئے، گھروات میں بیٹھ بیکری کے کیس کے اندر زہر النساء کہتی ہے کہ مجھے لمبے یہی کے ایم
ایل اے نے ذرا یا کہ تم نے اگر گواہی دی تو تم کو مار دیا جائے گا۔ وہ پورا گھروات چھوڑ کر بیٹھنی میں جا کر بیٹھنی
ہوئی ہے کہ میں بھی میں رہ کر کے گواہی کر سکتی ہوں۔ میں مانگ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو حکومت میں ہوئے
قانون کی وجہاں اڑا رہے ہیں، ان کیہے اور پر مقدمہ ٹیکا دیا جائے۔ اس دلش میں چاہتے آسمان کی اوپنجائی پر
بیٹھا ہوا انسان ہو یا سڑک پر کوئی بھیک مانگنے والا انسان ہو، قانون کی نظر میں ان کو ایک ٹھاہ سے، یا
پانے، یہ میں مانگ کرتا ہوں۔ لیکن آج ہم کیا امید کریں؟ ۱۹۹۲ء کے اندر پاہری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ شہید
کرنے کے بعد حکومت کی سب چیزیں ہونے کے بعد، سب انکو اعزی ہونے کے بعد، جو لوگ ان سے
شرمند میں شامل تھے ان کے اور پر مقدمہ ٹایا گیا۔ لیکن انہوں نے، وہ لوگ جو آنے اس حکومت کو سر دیں
ہیں، سب سے بڑی کری پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے در باقی میں آ کر کے مقدمہ اخھایا۔ ایک شاعر
بہت خوب کہا ہے۔


بریکھ بر بادگستان کرنے کوں ایک ای اتوکافی ہے،
ہرشانچ پاؤ بیٹھا ہے انجم اگستان کیا ہو گا؟

میں آج تمام ساتھیوں سے اس بات کا نو پیدن کرتا ہوں کاس دلیش کے اندر پوس راج نہیں، بلکہ
اس دلیش کے اندر قانون کا راج قائم ہو۔ سرکار کے اشارے پر جو مقدمے کئے جا رہے ہیں وہ بند کئے
جائیں۔ اس لئے سنودھان کی دھارا۔ ۲۱ جو آئین کی اہم دھارا سے۔ اسکی حفاظت کے لئے تمام سانسدوں

کو ایک جست ہو کر قدم اٹھانا چاہئے، کیونکہ یہ ودھیک انسان کی بھی زندگی کی حفاظت کے لئے ہے۔ آج سب سے بڑا نکتہ انسان کے اور پر ہے۔ سرکار ان سارے حقوق کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لئے یہ ودھیک بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی موزوں ہے۔ میں پھر سے مانعے سنٹوش باگڈو دیا جی کو بدحالی دیتا ہوں، مادر میں بار بار اس کا سر تھن کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے ہاؤس کے اندر بولنے دیا، اس کے لئے بہت بہت وضیع اور۔

† شری اबू آسامیم آجتمی (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो कंस्टीट्यूशन अर्मेंडमेंट बिल श्री संतोष बागडोदिया जी के ज़रिए लाया गया है, यह बहुत अच्छा विक्स है। भारतवर्ष में संविधान की धारा 21 मूल अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज़ है। संविधान बनाने वालों ने जान-बूझकर इस तरह की धारा बनाई कि किसी की जान और माल समाज में किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो। जब तक वह कानूनी प्रोसीजर ऐडॉप्ट न करे, तब तक उसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता। आज़ादी की लड़ाई के दौरान सभी दलों की मीटिंग करके जिसमें कांग्रेस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग भी मौजूद थे, स्वर्गीय मोती लाल नेहरू की अगुवाई में कमीशन कायम किया गया और उस कमीशन ने अंग्रेजी सरकार के सामने सबसे पहले यह तज़ीजी ऐश की कि जान और माल के लिए स्टेट को अधिकार नहीं जब तक कि कानूनी रास्ता न अखियार किया जाए। जंगे-आज़ादी के दौरान जब भी कभी कानून में बदलाव का मौका आया, अहम लीडरों ने अंग्रेजों के सामने सिविल लिबर्टी, शहरी आज़ादी का मसला बार-बार उठाया और इसलिए हमारे मुल्क का नागरिक आज़ादी का आईन तैयार हुआ। इस आईन पर अवाम के सामने आज़ादी की जंग के दौर में जो कौल किया गया था, उसके मुताबिक आईन की धारा 21 को जोड़ा गया। यह हमारे आईन के बुनियादी हक का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने धीरे यह फैसला किया कि इस धारा को आगे तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट भी इस धारा को बदल नहीं सकती, इस धारा को आगे बढ़ा सकती है, लोगों को हक दिला सकती है।

इस धारा को बनाने वाले लीडरान ने किसी भी हिन्दुस्तानी शहरी को इस बात का हक दिया कि वह اپنी जान और माल की हिफाजत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

*Expunged as ordered by the Chair.

इस धारा की हिफाजत के लिए दुनिया में एमनेस्टी कमीशन बनाया गया। हमारे देश भारतवर्ष में हृदयमन राइट कमीशन बनाया गया। इसके बावजूद भी हम शहरियों की जिंदगी की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय संतोष जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि सरकार और संसद का ध्यान खोने के लिए वे यह संशोधन लाए और मुझे इसमें कुछ बोलने का मौका दिया। इस जाहूरी राज में इंसान की जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है। सारे राज्यों में पुलिस का राज चल रहा है। आप सभी को यह बात जानकर हँसानी होगी, ताजुब होगा कि महाराष्ट्र में एक नौजवान, जिसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की, उसे भारतवर्ष में नौकरी नहीं मिली, वह इधर-उधर बहुत दौड़ा, नौकरी के लिए दुबई चला गया। वहां से डेढ़ साल के बाद दिसम्बर, 2002 में छुट्टी पर आया कि आकर बहिन की शादी करूँगा लेकिन मुम्बई की पुलिस आई और उस नौजवान को जवार्दस्ती गिरफ्तार करके ले गई। माननीय जज के सामने, विशेष जज के सामने उसे पोटा अदालत में पेश किया गया। 3 जनवरी से 17 जनवरी तक उसका रिमाण्ड लिया गया। उस रिमाण्ड के दौरान पुलिस ने उस नौजवान को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसने मुंह से खून फैक दिया और वह बेचारा नौजवान मर गया। जब अदालत ने हुक्म दिया कि उस नौजवान को अदालत में देश किया जाए तो उन पुलिस वालों ने एक ड्रामा रचा। ड्रामा रचकर कोर्ट में आकर कहा कि चार पुलिस वाले इसे जीप में बिठाकर औरंगाबाद इंकवायरी पर ले जा रहे थे। रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया, जीप पलट गई और बेचारे चारों पुलिस वाले, जो बड़े हट्टे-कट्टे थे, बेहोश हो गए। उनकी बेहोशी का फायदा उठाकर हथकड़ी में बंधा हुआ एक नौजवान भाग गया। जब कोर्ट में मुकदमा गया तो जज साहब को इस बात का शक हुआ कि नहीं, इसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन उसे आज तक ईसाफ नहीं मिल सका। उसकी मां कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे बच्चे की लाश मुझे दे दी जाए। मैं इसे कफन में लपेटकर अपने सामने कब्रिस्तान में डाल दूँगी, मेरी यही डिमाण्ड है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। वह चारों तरफ भाग रही है लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। माननीय अदालत ने पुलिस की थ्योरी पर यकीन नहीं किया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे हरिजन उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न को लेकर विशेष कानून बने हैं, उसी तर्ज पर आईन की इस धारा 21 की मजबूती के लिए पुलिस कस्टडी में होने वाली मौत और पुलिस कस्टडी से भागने वाले जुर्म के खिलाफ उन पर मुकदमा चलाया जाए, हत्या का मुकदमा चलाया जाए। महोदय, मैं तमाम लोगों का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो विरोध में समर्थन दे रहा है उसके ऊपर रासुका लगा है और कहीं रासुका का मुकदमा उठाया जा रहा है। हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अमर सिंह जी के ऊपर एक ही दिन में 250 मुकदमे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश की सरकार दिन-रात इसी में लगी हुई है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के वर्कर, जिनके ऊपर कोई

*Expunged as ordered by the Chair.

मुकदमा नहीं है, फर्जी मुकदमे बनाकर जेल में भेज दिया जाए। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि माननीय न्यायालय इलाहाबाद के फौरन हस्तक्षेप किया। यदि यह हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इस समय हमारे तमाम माननीय नेता जेल में पड़े होते। अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। यह कोशिश लगी हुई है कि कैसे भी इन नेताओं को जेल में डाल दिया जाए। तमाम ऐसे कार्यकर्ता, जिनका कोई गुनाह नहीं है उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार से यह अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की एक टीम को भेजा जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार के कदम की जांच की एक रिपोर्ट देश के सामने पेश की जाए।

दूसरा मामल कोलकाता का है, जो हमारे एक माननीय मैस्टर ने उठाया था कि विश्व स्तर के तस्कर अफीम की तस्करी में लिप्त थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उस मामले को उठाया। और वे लोग जो देश की रक्षा के लिए रखे गए हैं, ऐसे अफसर जो उसमें लिप्त हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप दूसरा मामले देखिए, गुजरात में बेस्ट बैकरी के केस के अंदर ज़हरनिसा कहती है कि मुझे बीजेपी के एमएलए ने डराया कि तुमने अगर गवाही दी तो तुमको मार दिया जाएगा। वह पूरा गुजरात छोड़ कर मुंबई में जाकर बैठी हुई है कि मैं मुंबई में रह करके गवाही कर सकती हूं। मैं मांग करता हूं कि वे लोग जो हकूमत में बैठ कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। इस देश में चाहे आसमान की ऊँचाई पर बैठा हुआ इंसान हो या सड़क पर कोई भी ख मांगने वाला इंसान हो, कानून की नज़र में उनको एक निगाह से देखा जाए, यह मैं मांग करता हूं। परन्तु आज हम क्या उम्मीद करें? 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद हकूमत की सब चैकिंग होने के बाद, सब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, जो लोग उसके घटयंत्र में शामिल थे उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया। परन्तु इन्होंने, वे लोग जो आज इस हकूमत के सर्वे-सर्वांहें, सब से बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के दबाव में आ करके मुकदमा उठा लिया। एक शायर ने बहुत खूब कहा है:

बर्बाद ए गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,

हर शाख ऐ उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा?

मैं आज तमाम साथियों से इस बात का निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर पुलिस राज नहीं, बल्कि इस देश के अंदर कानून का राज कायम हो। सरकार के इशारे पर जो मुकदमे किए जा रहे हैं वे बंद किए जाएं। इसलिए संविधान की धारा 21 जो आईन की अहम धारा है इसकी हिफाजत के लिए तमाम सांसदों को एकजुट कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह विधेयक इंसान की निजी जिन्दगी की हिफाजत के लिए है। आज सब से बड़ा संकट इंसान के ऊपर है। सरकार इन सारे हकूक को समाप्त करने में लगी हुई है। इसलिए यह विधेयक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मौजूदा है।

मैं फिर से माननीय संतोष बागड़ोदिया जी को बधाई देता हूं और मैं बार-बार इसका समर्थन करता हूं। आपने मझे हाउस के अंदर बोलने दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० कुमकुम राय (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री संतोष बागड़ोदिया द्वारा लाया गया यह संविधान (संसोधन) विधेयक, 1999, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 में और उसको अन्तःस्थापित करने का जो सुझाव दिया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। महोदय, आज अगर यह गैर सरकारी विधेयक इस सदन में लाया गया है तो इसके पीछे के कारण साफ हैं। हिन्दुस्तान जैसे गणराज्य में आज की हकीकत यह है कि विभिन्न राज्यों में/विभिन्न पार्टियों की सरकार है। अनेक क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी मजबूती से विभिन्न राज्यों की सरकारें चला रही हैं। पूरे हिन्दुस्तान में अब किसी एक राष्ट्रीय पार्टी का एकछत्र अधिकार नहीं रह गया है। अब यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ और हानि के लिए, राग और द्रेष के लिए, हम संवैधानिक अधिकारों से युक्त उन संस्थाओं का अति दुरुपयोग करने लगे हैं। संविधान में दी गई स्पष्ट मान्यताओं पर भी कुठाराघात करने लगे हैं और हर कोने से ऐसे अनेक प्रमाण अब तक इकट्ठे किए जा सके हैं जिसके तहत यह प्रमाणित हो चुका है कि इन संवैधानिक संस्थाओं को हम किस प्रकार राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से उनके दिए हए संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात करके इस एक अरब 10 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में नागरिक की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो दैवकितक आजादी का जो अधिकार है, उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने यीणा साहब ने, आज़मी साहब ने कई उदाहरण दिए हैं, जिसमें स्पष्ट है कि विभिन्न दल के वरिष्ठ नेताओं का चरित्रहनन हमने अपनी राजनीतिक मंशाओं को पुष्ट करने के लिए किया है। कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के मनगढ़त आरोपों को लगा करके उन पर मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं और कायम करने के बाद इस प्रकार के संवैधानिक अधिकारों से युक्त उन संस्थाओं को सौंप भी दिए जाते हैं, लेकिन जहां, जिस की सरकार है, वहां उस की तूती बोलती है और उस से सम्बद्ध अधिकारी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उन के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं। महोदय, मैं आप के सामने और समस्त सदन के सम्मुख इस गंभीर प्रश्न को रखना चाहती हूं कि यह जरूरी नहीं है कि जो कार्य आज आप उस थर्ड व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, वही कार्य आप के लिए नहीं होगा या वही व्यक्ति वही कार्य आप के लिए नहीं करेगा। इसलिए अगर संविधान के अनुच्छेद 21 में, जिस में हमारी व्यक्तिगत आजादी के अधिकार को सुनिश्चित किया जाय, अगर इस पर सदन विचार करे और सरकार भी विचार करे और हमारी व्यक्तिगत आजादी व निजता को सुरक्षित किया जाय तो यह हम सब के लिए इस प्रजातांत्रिक देश में बहुत ही अच्छा होगा। महोदय, मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि जब भी इस प्रकार के मुकदमे कायम होते हैं तो बिना पुख्ता सबूत के, बिना तमाम कागजात के, बड़ी ही भ्रामक सूचनाओं के आधार पर भी इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है और अचानक पता चलता है कि फलां आदमी के घर में छापा

डालने के लिए एक टीम पहुंच गयी। फिर उस व्यक्ति के घर में क्या होता है? ये अधिकारी उस घर की महिलाएं, बेटियां, बहुएं अपने शयन कक्ष में किस अवस्था में हैं, बीमार हैं, इस सब का ध्यान नहीं रखते हैं। वे उन्हें व्यवस्थित होने का मौका भी नहीं देते और धड़ाधड़ उन महिलाओं के शयन कक्ष में भी छुस जाते हैं। महोदय, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भले ही उस छापे के बाद वहां उन्हें केस मजबूत करने के लिए पुख्ता सबूत न मिलें वहां से निकलकर तुरंत मीडिया के सामने, पत्रकार सम्प्रेलन करके या इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया को बुलाकर बाह-बाही लूटना शुरू कर देते हैं। वे अपने उस राजनीतिक आकांक्षा को खुश करने के लिए जोर-शोर से कहते हैं कि फलां आदमी के यहां इतने घंटे ऐसे-ऐसे छापा पड़ा। उन्हें मिला कुछ भी नहीं और उस के बाद न्यायिक प्रक्रिया में भले ही सबूत न हो, लेकिन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर जो कलंक, जो ग्रहण लग जाता है, उस के चत्रित्र में जो दाग लग जाता है, उस को इतिहास के अगले पने भी नहीं धो पाते हैं। उस के संपूर्ण कैरियर पर एक बड़ा दाग लग जाता है। बाहे वह नितांत ही साधारण आदमी क्यों न हो, लेकिन उस के संपूर्ण कैरियर में एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता है जिस की भरपाई करने का कोई दूसरा उपाय इस मुल्क में किसी में नहीं है।

महोदय, मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं कि चारा घोटाले के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने स्वयं जिस घोटाले का पर्दाफाश किया, अभियुक्तों के खिलाफ 48 एफआईआर दर्ज किए, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के चलते उन को उसी केस में शामिल कर के गिरफ्तार करने की साजिश की गयी। महोदय, इतना ही नहीं लालू यादव जी ने यह संदेश दे दिया था, कि मैं कल आत्म समर्पण करने जा रहा हूं लेकिन उनमें इतना ही धैर्य नहीं था, उन राजनीतिक आकांक्षाओं को इतना ही धैर्य नहीं था कि वह अगली सुबह का इंतजार करते। इस संबंध के लिए सेना को बुलाने की व्यवस्था की गयी और उन के निवास को सेना से धेरने की व्यवस्था की गयी जिस से एक ट्रावमा और चारों तरफ हाहाकार की स्थिति निर्मित हो गयी। उन के घर में अधिकारी छापा डालने पहुंचे तो उन के घर की महिलाओं के कमरों को भी नहीं बछाग गया। महोदय, मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि एक व्यक्ति के लिए आस्था और भवित एक निजी मामला है। उस के घर में जो मंदिर होता है और वह उस में अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियां रखता है। अब कोई चांदी की मूर्तियां रखता है, कोई पीतल की मूर्तियां अपने-अपने इष्ट देवताओं की रखते हैं। उनकी भवित का उपहास नहीं उड़ा क्या? उनकी निजता में इससे क्या खलल नहीं पहुंचा? इतना ही नहीं एक मुख्य मंत्री के आवास में इस प्रकार से छापा पड़ना और कुछ न मिलना, यहीं पर पूर्णविराम नहीं लगा बर्तिक उनके जो रिश्तेदार थे, उनके घरों में यह टीम पहुंच गई - दूर के रिश्तेदार, उनके समुदाय के तमाम साले और सलाहज, उनके घरों में भी यही काम किया गया। उनके घरों में भी बेड-शीट को हटा-हटा कर के, उनके घरों की औरतों को हटाकर, उनके बिस्तरों की चद्दरों को हटा-हटा कर झाड़ा गया और बिस्तरों को खोल-खोल कर

देखा गया। गड्डियां तो मिली थीं जिनके यहां, जिनके घरों में बारों में भरकर नोट मिले थे, उन पर भले ही आप कोई मुकदमा न चला पाए होंगे, उनको दंड नहीं दे पाए होंगे, लेकिन चद्दर झाड़ने के बाद भी, उस बेडरूम से औरतों को हटाने के बाद भी और वैडरूम के विस्तर को खंगालने के बाद भी जहां कुछ नहीं मिला, वहां इस तरह से आपने उनका उपहास उड़ाया, उनकी खिल्ली उड़ायी और इतना ही नहीं, वह एक व्यक्ति की खिल्ली नहीं, सबकी गरिमा का आपने उपहास उड़ाया था। एक मुख्य मंत्री और एक मुख्य मंत्री की पत्नी और उनकी जवान वेटियां जहां घर में हैं, शयन कक्ष में हैं, वहां अचानक इस प्रकार का छापा डालना और वहां से कुछ न मिलना, यह क्या सांवित्र करता है? आज तक उनके किसी भी रिश्तेदार के यहां से कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी बरामदगी नहीं हो सकी है जिससे कि आप अपने द्वारा राजनीतिक आकारों के इशारे पर किए गए इस मुकदमे को पुख्ता कर सकें और सबूत पेश कर सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि इस प्रजातांत्रिक देश में इससे क्या संदेश जा रहा है। एक तरफ तो आप देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी के घर में, जिसने देशद्रोह और गद्दारी के बराबर अपराध किया, विदेशी मुल्क के पांच अपराधी जहां पकड़े गए, अमेरिका की इंटरपोल के माध्यम से जहां छापा पड़ा और सबूत मिल गए, चीजों की बरामदगी हो गई, इस मिल गए आपको, लेकिन वहां पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की और उन सारी सूचनाओं को भी सारे देश के लोगों के सामने नहीं लाया गया। सिर्फ पश्चिमी बंगाल के मुछ अखबारों में, बंगला भाषा के कुछ अखबारों में छापा और देश के दूसरे अखबारों में थोड़ा सा समाचार छापा और उसे सरकारी गवाह बनाकर फिर पुरस्कृत किया गया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की प्रतिष्ठा को आपने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है इसलिए ऐसे छापों के समय कम से कम एक घंटे का समय जरूर देना चाहिए ताकि घर की जो घू-वेटियां हैं ते ढंग से सुसज्जित तो हो सकें, ढंग से तैयार तो हो सकें।

दूसरी बात, छापा डालने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रैस मीडिया के पास पहुंच जाना, भले ही वे सबूत उन पर लगाए गए आरोप को पुष्ट करें या न करें, लेकिन पहले ही अखबार में जाकर प्रैस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना, उन पर इस प्रकार का कलंक लगा देना, यह बड़ा ही गंभीर अपराध है। निजता और अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखने का अधिकार देश के घड़े नेताओं को ही नहीं बल्कि सामान्य नागरिक को भी है। इसलिए जहां भी इस प्रकार के छापे पड़े या जहां भी इस प्रकार की संस्थाओं के अधिकारी जाएं तो कम से कम यह तो कानून बनाना ही चाहिए कि जब तक वे आरोप किसी पर सांवित्र न हो जाएं तब तक आप प्रैस में न जाएं, तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न जाएं और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से जहां भी आप जा रहे हैं वहां कम से कम महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की आजादी और महिलाओं की निजता का ख्याल रखते हुए कम से कम एक घंटे का उन्हें मौका अवश्य मिलना

चाहिए और इस प्रकार यदि सरकार सावधानी बरतेगी तो आने वाले भविष्य में सभी पार्टियों के लोगों को सुविधा होगी। मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि यह सिफ़ मेरी पार्टी और मेरे ही मुख्य मंत्री को बात नहीं है, जयललिता जी, जो तमिलनाडु की मुख्य मंत्री थीं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी भी कई साड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस में दिखाया गया था, उनकी भी चप्पलों और सैंडलों की नुमाइश की गई थी। यह सब क्या है? इसलिए इस प्रकार के छापे के पश्चात तुरंत प्रेस में दौड़ जाना और तुरंत बाहवाही ले लेना, अपने राजनीतिक आकाऊओं को खुश कर देना, यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आतंक है और इसे खत्म करने के लिए श्री संतोष बागड़ेदिया जी ने जो यह निजी विधेयक लाने का किया है, मैं इसका तहेदिल से समर्थन करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 21 को अगर और विस्तारित करके हमारे तमाम नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार को और भी सुरक्षित करने का यदि पुख्ता इंतजाम किया जाए तो यह स्वतंत्र योग्य होगा। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): Is there any other member desiring to speak?

Some Hon. Members: No.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): Now, the hon. Minister to reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष करके माननीय संतोष जी का अंतःकरण से आभारी हूँ कि ऐसे विषय को लेकर के उन्होंने एक प्राइवेट मैंबर बिल सदन के सामने रखा है। जो विषय हम सब के साथ चाहे हम संसद सदस्य हों या जनप्रतिनिधि हों या एक आम नागरिक हों उसके स्वाभिमान के साथ जुड़ जाता है, हमारे सामने प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देता है कि क्या हम किसी प्रजातंत्र देश में रहते हैं या जहां प्रजातंत्र नहीं है वैसे देश में रहते हैं, तो हमारे अस्तित्व और हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उस विषय को लेकर आपने संविधान संशोधन के जरिए इस सदन में बिल रखा है। इसके साथ-साथ मैं उन सभी अपने गणमान्य सदस्यों का भी आभारी हूँ कि जिन्होंने पिछले सेशन के दौरान और आज भी मैंने देखा है कि काफी सदस्य उत्सुक थे बोलने के लिए और इस पर बोले भी। माननीय सदस्या श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने अपने विचार रखे, प्रभाकर रेड्डी जी ने भी अपने विचार रखे, हमारे सब के आदरणीय श्री बालकवि बैरागी जी ने रामायण का उदाहरण देकर इस विषय को साथ लगाने की कोशिश की। आदरणीय रंगनाथ मिश्र और श्री बी०पी० सिंहल ने भी व्यक्तिगत एकांतता के अधिकार को अनाए रखने के मुद्दे पर बल दिया। मेरे मित्र प्रो० सोज साहब ने भी इस पर अपनी कुछ टिप्पणियां कीं, डॉ० पी० यादव जी ने भी अपने मन की व्याधा को भी सदन के सामने रखा। हमारी बहन श्रीमती गुरुचरण कौर और

अभी हमारी बहन कुमकुम जी ने भी, आजमी जी ने, मूल चन्द्र मीणा जी ने तथा अन्य सभी सदस्यों ने इसके अलग-अलग पहलुओं पर अपने विचार रखे, चिंता व्यक्ति की है, कुछ सुझाव दिए हैं।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूँगा कि जैसा मैंने शुरूआत में कहा कि यह हमारे सब की व्यक्तिगत एकांता के अधिकार के स्वाभिमान का प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह चिंता आज से नहीं जब से हमारा संविधान बना है तब से हमारा संविधान बनाने वाले महापुरुषों ने इस पर बिल्कुल लम्बे अरसे तक चर्चा करके क्योंकि यह बात सिर्फ वर्तमान लोकशाही के ढांचे की नहीं है, प्रजातंत्र के ढांचे की नहीं है, जब बालकवि बैरामी जी और अभी मीणा जी भी रामायण की कुछ बातें कर रहे थे तथा उन्होंने बताया कि रामचन्द्र जी और सीता माता एकांत में बैठते थे तो लक्ष्मण जी की हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहां से गुजरें। मैं मानता हूँ, मैं तो उससे आगे जाकर कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत एकांतता की स्वतंत्रता हमारी पहचान है, हमारे संविधान के रचयिता ने उसको रखा है। साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि उसी भगवान रामचन्द्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। हमारे देश की अपनी एक अलग पहचान है जिसमें व्यक्तिगत एकांतता का वह अर्थ न निकले कि जिस अर्थ में जो बाकी के देशों में जिसका अर्थ निकल जाता है। आज कई बार जो परिस्थिति हम देखते हैं चाहे वह टीवी^{१०} चैनल पर हो या फिर घूमने निकलते हों तब, तो ऐसी स्थिति न बने वह भी हमें सोचना चाहिए। फिर भी मैं सभी माननीय सदस्यों को इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार आपकी चिंता से अवगत है और नागरिक के व्यक्तिगत एकांतता के अधिकार को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। यहां कुछ ऐसे प्रश्न भी सामने रखे गए कि यह जो हमारी व्यक्तिगत एकांतता के साथ जो सीधा सम्पर्क कभी जुड़ जाता है या उसका उल्लंघन होता है। वह तभी होता है जब कहीं न कहीं कानून उससे जुड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है और आप सब मुझसे सहमत होंगे कि आम आदमी के साथ जो हमारी विभिन्न जांच एजेंसियां हैं, छापा मारने वाली हों या तलाश करने वाली हों, जब तक कहीं न कहीं किसी न किसी का सही-गलत तार नहीं जुड़ा हो, तब तक उनके साथ उन एजेंसियों का सीधा संपर्क नहीं बन पाता। वह संपर्क तभी बन पाता है जब कहीं न कहीं किसी का कोई तार जुड़ता है। मगर फिर भी मैं मानता हूँ और मेरा एक व्यक्तिगत और एक मंत्री के नाते भी मत है, जैसा अभी आदरणीया डा० कुमकुम जी ने बताया, बाकी सदस्यों ने भी बताया कि चाहे वह किसी भी प्रकार की रेड हो, छापा हो, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो, उसकी जांच पड़ताल करनी हो, उसमें हमें शिष्टता बरतनी चाहिए। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे। कानून का यह तकाजा है, कानून का यह मजबूत विचार है, तत्व है कि जब तक आदमी अदालत में गुनाहगार साबित नहीं होता, तब तक उसको गुनाहगार नहीं माना जाता। इसलिए आपने जो सारे मुद्दे यहां पर रखे हैं, वे अहम मुद्दे हैं, उनको भूमिका मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि पहले से ही हम तय न कर लें कि यह आदमी गुनाहगार है। महोदय, कुछ 20-25 साल पहले की बात है, कई सालों से मैं भी राजनीति में हूँ।

आप सबसे तो मैं छोटा हूं। आपमें से कई उम्र में भी मुझसे ज्यादा हैं और राजनीति के तजुर्बे भी आपके पास ज्यादा हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आज से 20-25 साल पहले थीं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): You have started very early in politics.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, he has held several important assignments.

श्री हरिन पाठक : उपसभाध्यक्ष महोदय को मालूम है कि मैं 16 साल की उम्र से पता नहीं कैसे, इस पब्लिक लाइफ में आ गया। कुछ ऐसी परिस्थितियां पहले थीं। मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। मैं तो भुक्तभोगी भी हूं, मगर मैं आज यह कहना नहीं चाहता। एक शिक्षक के नाते मैंने अपने जीवन के 35 साल के काल में न कभी विद्यार्थियों को ढांचा है, न कभी 35 साल, 40 साल के अपने व्यक्तिगत जीवन में सरकार के या म्यूनिसिपेलिटी के या ट्रेफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया है। फिर भी कहीं न कहीं, जैसा आपने कहा, उसका मैं भुक्तभोगी हूं और मेरा यह मानना है कि आज से 25 साल पहले जो परिस्थिति थी, उस में काफी बदलाव आया है। सरकार के हमारे विभिन्न मंत्रालयों से जो जांच एजेंसीज हैं, उन्हें बार-बार दिशा निर्देश दिये जाते हैं कि व्यक्ति की एकांतता, उसका स्वाभिमान, उसके मूलभूत अधिकार उनकी रक्षा करके फिर कानून के अंतर्गत जो भी कार्यवाही करनी है, उस हिसाब से वे कार्यवाही करें। इसलिए मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो सरकार की जांच एजेंसीज हैं, उन्हें भी अपने नियम के अनुसार, अपनी मर्यादाओं के अनुसार, कानून में, संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिये हैं उन अधिकारों के अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। कुछ बातें प्रेस के बारे में भी कहीं गयी थीं और कही जाती हैं। भारतीय प्रेस परिषट ने भी अपनी पत्रकारिता के आचरण के मानदंडों में यह निर्धारित किया है कि "प्रेस किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप या आक्रामक रूप तब तक नहीं अपनाएगी जब तक कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक न हो"। उनसे इसी मार्गदर्शी सिद्धान्त को पुनः दोहराने का भी अनुरोध किया जाएगा। जैसा मैंने कहा, मैं कोई बहुत लम्बी बातें नहीं करना चाहता किन्तु अश्विनी कुमार जी यहां नहीं हैं, उन्होंने एक टेप के बारे में बात कहीं थी, उच्चतम न्यायालय से जिसके बारे में फैसला भी आया था, उसका मैं यहां जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि फोन टेप करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबरीज बनाम भारत संघ तथा अन्य, 18 दिसम्बर 1996 के बाद मैं दिए गए निर्देश के अनुरूप केन्द्र सरकार ने टेलीफोन टेप करने से संबंधित प्रक्रियात्मक रक्षोपाय निर्धारित करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885 की धारा सात के अधीन आवश्यक नियम बनाए हैं। नियमों के अनुसार यदि भारत की सम्प्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध और लोक व्यवस्था को बनाए रखने तथा किसी अपराध को करने के लिए उपरेक्षित करने से रोकने के लिए जरूरी हो। जो फैसला आया

था उसमें कहां गया था- “जरुरी हो तो भारत सरकार के मामले में केंद्रीय गृह सचिव तथा राज्य सरकार के मामले में गृह सचिव भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के अधीन किसी संदेश या संदेश की श्रेणी के अवरोध के लिए निर्देश देने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत है।” यह तभी कर सकते हैं जब देश की सम्प्रभुता के लिए कोई सवाल खड़ा होता हो।

श्रीमान् इस पूरे विधेयक के बारे में अगर मैं कहूं तो यदि हम अपने संविधान की धारा 21 को देखें, यह बड़ी व्यापक धारा है- “प्रोटेक्शन आफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी”

“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”

यही बात उन्होंने इसमें रखी है। हमारे संविधान की धारा 21 इतनी व्यापक है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सभी माननीय सदस्यों के सामने मैं यह बात भी रखना चाहूंगा कि हमारे उच्चतम न्यायालय में कुछ फैसले ऐसे आए और वहां पर जो निर्णय लिए गए, जो वर्डिक्ट आए हैं, उनमें से दो का जिक्र मैं करना चाहूंगा जिनमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप जो 21 “क” जोड़ना चाहते हो, व्यक्तिगत एकांतता की स्वतंत्रता का अधिकार, वह संविधान की धारा 21 में सम्मिलित है और वह उसमें आ ही जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजर्मेंट्स हैं। मैं सिर्फ एक-दो जजर्मेंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है People's Union for Civil Liberties vs. Union of India, कुलदीप सिंह जी का जजर्मेंट है।

“Article 21 of the Constitution, has, therefore, been interpreted by all the seven learned Judges in Kharak Singh's case, majority and the minority opinions to include, that right to privacy. "which the hon. Member wants to be included as 21 (c) "is a part of the right to protection of life and personal liberty.”

आगे भी कहा है एक जगह पर कि

“We have, therefore, no hesitation in holding that right to privacy is a part of right to life and personal liberty enshrined under article 21 of the Constitution.”

तो मैं चाहता हूं कि हमारे संविधान की जो व्यापक धारा 21 है, उसमें ये सारी बातें निहित हैं और उसी में आ जाती हैं। मैं यह भी जरूर कहना चाहूंगा जैसा मैंने पहले कहा कि हरेक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत एकांतता की स्वाधीनता को बरकरार रखे। जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, जहां उसे उचित लगता है कि उसमें अगर वह कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहे तो उसमें शिष्टता बरती जाए, महिलाओं के मामले में विशेष शिष्टता बरती जाए। सभी व्यक्तियाँ और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं,

उनके मामले में शिष्टता के साथ-साथ कानून का पालन करने में वे जरा और ध्यान रखें। इन सभी बातों को देखते हुए मुझे लगता है, जैसे मैंने बीच में कहा कि सरकार की जो भी एजेंसीज हैं, उनको हम लगातार दिशा-निर्देश देते रहते हैं। मैंने कुछ उदाहरण भी दिए कि बीस साल पहले की जो स्थिति थी, वह स्थिति आज नहीं है, आज रेड करने जाना हो, आज तलाशी लेनी हो, आज किसी एजेंसी को गलत काम करवाना हो या करना हो, तो उसके लिए उनको वह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार और भी दिशा-निर्देश देती रहेगी। व्यापक रूप से मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार यहाँ पर रखे, सरकार को और जानकारी मिली। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी ज्यादा जानकारी मिली। मुझे एक बात का बड़ा आनन्द है, हर्ष है कि हमारा प्रजातन्त्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है—हमारा कांस्टीट्यूशन पचास में बना हो और हमने आजादी सेंतालीस में प्राप्त की हो लेकिन हमारा पुराना देश और उसकी जो पुरानी नीव और बुनियाद है, वे इन सभी सिद्धांतों पर आधारित हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति में संविधान की धारा इककीस, जो कि व्यापक है, उसमें ये सारे राइट टू प्राइवेसी आ जाते हैं! मैं माननीय सदस्य श्री संतोष जी से प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वे अपने विधेयक को वापस ले लें पुनः एक बार फिर आप सभी महानुभावी, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उन्हें बहुत—बहुत धन्यवाद देता हूँ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir. To begin with, I am grateful to all my colleagues, who have participated, cutting across party lines, in the discussion on this Constitution (Amendment) Bill. I found from the records that twenty-five hon. Members have participated in this debate. It is a very rare sight to see the participation of so many hon. Members in a Private Member's Bill. Hon. Members have participated from various parties such as BJP, CPM, TDP, DMK, of course, from the Congress, SP, RJD and other nominated Members. It began—after my initial speech—with Shri Dina Nath Mishra, then Smt. Sarlaji, Shri Prabhakar Reddy, Shri Saif-Ud-Din-Soz, Shri C.P. Thirunavukkarasu, Maulana Azmi, Shri Rangnath Misra have all participated in the discussion. श्री रंगनाथ मिश्र जी तो पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, डॉ दास, वर्मा साहब, बालकवि बैरागी साहब, अजय मारू जी थे, अश्विनी कुमार जी, चन्द्रकला पांडे जी, लेखराज वचानी जी, बीजेपी से भी कई लोगों ने इसमें पार्टीसिपेट किया, यादव साहब, डॉ शर्मा, गुरचरण कौर जी, बिम्बा रायकर, बीपी० सिंहल जी, जोकि खुद पुलिस से आते हैं, जब वे रहे होंगे तो इन्होंने भी बड़ी ज्यादतियां की होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज वे इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे, मेरी समझ में कम ही आ रहा है। वासन साहब, मूल चंद मीणा जी, आजमी जी और कुमकुम राय जी सभी ने पार्टीसिपेट किया। मैं इन सभी

का बहुत-बहुत आभारी हूं और जैसी मुझे आशा थी मंत्री जी को तो यह कहना ही था कि मुझे कृच्छा नहीं करना है, इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बड़ी इच्छत के साथ जितनी बातें हुई उन्हें मंजूर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है और लोगों ने जो-जो उदाहरण दिये उनको भी मंजूर किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और बिना कारण के हुआ है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो 21वां संशोधन है, कांस्टीट्यूशन का जो 21वां आर्टिकल है यह बहुत व्यापक है। It is very vast because the Constitution-makers were definitely very intelligent people. They had a vision for the next fifty years or hundred years or hundreds and hundreds of years. That is why they could produce this kind of Constitution. But, unfortunately, during the last fifty or sixty years, a number of new laws have been enacted, which include Official Secrets Act, Excise and Customs Act, Income Tax Act, IPC, Labour Laws, amendments are proposed to the Companies Act, FEMA has been replaced by FEMA. So, there is no co-ordination between these laws and the Constitution. The most difficult thing is that the bureaucracy is interpreting law and is not bothered about the Constitution. Either it is the IPC or the Customs laws or any other law, these people will come, will talk about the laws in a very limited sphere. They will talk about only what suits them, only that particular clause, without giving reference to any other clause, even within that law. And, the most unfortunate thing is, they will misguide the ordinary citizen. In my opinion, that itself is a crime. For example, I can tell you, Sir, only recently, I got a call from a friend of mine that intelligence people had called him for some witness or evidence. I asked him, "For what have they called you? What crime have you done?" He is a Chartered Accountant. He is very educated. I know, he comes from a very simple family. When I called the officer, he said, "No, there is a small complaint. So, I want him to come." मैंने कहा भाई पुलिस के नाम से तो सब को पसीने आते हैं। हमको तो आपसे बात करने में ही डर लग रहा है कि कहीं आप उसके साथ मुझे भी न भुसा दो। ऐसपो होते हुए मुझे यह डर लग रहा है कि मैंने उसके लिए आपको पूछा इसलिए आप मेरा भी नाम उसमें न जोड़ दो। आप उसको बुला कर उसका विटनेस क्वों लेना चाहते हो। उसने क्या क्राइम किया है। किसी ने कंप्लेंट कर दिया, यह हो गया। आप उसके घर जाओ, छान-बीन करो। बोले नहीं, हमारा नियम है, यहां आने का। उसी दिन वह विदेश जा रहा था। मैंने अनुरोध किया कि आप विटेंश जाने दो। एक महीने बाद आएगा तब करवा लेंगे। मीनवाइल मैंने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से बात की। उसने मुझे बताया कि यह जो अफसर कर रहा था, यह बिलकुल गलत और कायदे के विरुद्ध काम कर रहा था। उसका कोई अधिकार नहीं

है कि इसको घर पर बुलाकर या अपने दफ्तर में बुला कर उसका विटनैस ले। वह उसके घर जा कर छानबीन कर सकता है, लेकिन अपने घर पर बुला कर नहीं कर सकता। इस तरह की वारदातें हो रही हैं। इस तरह के काम मेरी समझ में इंटेलिजेंस विंग वाले, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले, सीबीआई वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले और दूसरे जो सैक्योरिटी डिपार्टमेंट्स के आफिसर्ज हैं, ये खुल करके अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। महोदय, मुझे कुछ समय बोलने दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तब भी मुझे यह कहा गया था कि आप जब रिप्लायी देंगे तब पूरी बात बोल दीजिएगा। ... (व्यवधान)... 45 मिनट नहीं, 28 मिनट, मेरे पास जो रेकॉर्ड है। तो आपको और मंत्री जी को कुछ दूसरे देशों के उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री जी ने यह कह तो दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, शायद उन उदाहरणों से आपको कुछ और जागरूकता हो जाए या आपको और इच्छा हो जाए, कुछ और इंप्रूव किया जाए, चाहे इस कंसटीट्यूशन को करें, चाहे दूसरे लॉज को करें, मेरा परपज सर्व हो जाएगा कि अगर आपने कहीं भी कुछ संशोधन किया जिससे कि हमारी जनता के साथ इस तरह का अन्याय न हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, Privacy, as a concept, as a human right, is highly valued in any democratic set up. यह तो आप भी एगी करते हैं। Developments in the field of information technology, however, have quite dramatically altered the private space of individuals and impinged on what used to be called, 'right to privacy'. Unfortunately, this is what is happening. आपने भी मैंशन किया, आई बीन, वाइस चेयरमैन साहब, जितने ये हमारे सैलफोन हैं हंडरेड परसेंट, आप भी अगर बात कर रहे हैं तो आप समझ लें आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपकी हर बात रेकॉर्ड हो रही है और पांच वर्ष तक उस रेकॉर्ड को रखा जाएगा। इस बास्ते इतना समय, इतना खर्च हम किस बास्ते कर रहे हैं। अगर कोई अपराधी है जिसके लिए आपको बात रेकॉर्ड करनी है, उसमें मुझे कोई आजैक्षण नहीं, लेकिन हिन्दुस्तान में जितने टेलीफोन हैं, सारी कंपनियों को कह दिया गया है, सब रेकॉर्ड रखो और पांच वर्ष तक रखो। किस बास्ते? Sir, critics say that 'right to privacy' is a highly individualistic right. That ignores the moral and social dimensions of crucial and thorny social issues, like abortion and the right to die. Some have even argued the abandonment of the concept of privacy altogether, particularly due to the impact of technology. That make it almost impossible to retain this particular human value in modern times. मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ।

"In a discussion of this right to privacy that an individual seeks, four significant dimensions of privacy merit extensive discussion. Roger Clarke mentions four aspects:

(1) Privacy of the person concerns itself with the integrity of an individual's body wherein he may not be forced to undergo any kind of compulsory immunisation or sterilisation or blood transfusion." ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतमः यह आप किस जजमेंट से पढ़ रहे हैं?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have said, 'Roger Clarke mentions four aspects.' He had mentioned this. I have mentioned that before; I have never quoted any judgement. ...*(Interruptions)*... मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप बोलोगे कि कोर्ट को कोट मत करो। आप के दिमाग में बात बैठी है कि हम इधर वाले लोग हमेशा गड़बड़ बोलते हैं। अब उस का क्या इलाज है? The second point is this.

(2) Privacy of personal behaviour has within its ambit sensitive issues regarding political or religious activites or beliefs, sexual preferences or habits.

(3) Privacy of personal communication implies the total freedom to communicate by whatever means without being monitored or interfered by any agency or organisation. इसी पर मैंने सेलफोन की बात कही थी।

(4) Privacy of personal data demands that data about individuals must not be available to others or permitted to be used without the individual's consent. जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं।

The Universal Declaration of Human Rights क्या बोलते हैं? "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour or reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

"State parties are required to adopt legislative and other measures to give effect to the prohibition against such interferences and attacks as well as to the protection of this right." This is what I wanted to refer to the hon. Minister, that it is your responsibility to give effect to the prohibition against such interferences. Please find out some method. For example, I am just going a little out of the way. आप ने मेंशन किया कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाय, उस के ऊपर कोर्ट में केस तय नहीं हो जाय कि वह अपराधी है, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे ही सिंहल साहब ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई रेड हो और उस रेड

मैं अगर कोई मीडिया का आदमी साथ में चला जाता है तो जो ऑफिसर रेड कर रहा है, उस को सर्वेंड कर देना चाहिए क्योंकि रेड तो ऐसी चीज है, जो एजेंसी उस कार्य को करती है तो वह किसी अपराधी के घर करती है। अब उस अपराधी के साथ पूरे कंट्री या दुनिया में लोग कॉल्यूजन में हो सकते हैं। तो वह कार्य उस एजेंसी को चुपचाप करना चाहिए। उस का पता किसी को भी नहीं लगना चाहिए। अगर उस को मीडिया ने दिखा दिया तो उस के एकांप्लिश को पता चल जाएगा और वे भाग जाएंगे। ये अधिकारी इस सब के बारे में नहीं सोचते, इस बारे में ये अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते? दरअसल उन को आनंद आने लग गया है कि हम ने उस की इज्जत उतार दी। उन को आनंद आने लगा है कि हमारा भी चेहरा टीवी पर आएगा। महोदय, एक हमारे डायरेक्टर थे, मैं उन का नाम नहीं लेता क्यों गौतम साहब नाम ने लेने के लिए कहा है। वह सीबीआई के थे और रोज सुबह टीवी पर आते थे अपनी दिन भर की दिनचर्या के बारे में बताया करते थे। तो यह सीबीआई डायरेक्टर नेता कब से हो गए? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ये सब बातें रिकॉर्ड की जाते हैं।

The European Convention on Human Rights. Article 8 of the European Convention states:

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others."

And it further states, "The court has taken a very serious view of interception of communication and has called it a 'serious interference in the private life of an individual."

Now I come to privacy and homosexuality. The issue of right to privacy has also been raised with respect to freedom of an individual in his sexual orientation and the rights of gays and homosexuals have found support when challenged.

Then, in the opinion of the Human Rights Committee, moral issues cannot be deemed to be a matter of domestic concern, as this would open the door to withdrawing from the Committee's scrutiny a potentially large number of statutes interfering with privacy."

श्री संघ प्रिय गौतम: आगड़ीदिया साहब, इतना बड़ा नहीं पढ़ा जाता है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मैं क्वोट कर रहा हूं। अब मेरी तो इतनी मेमरी नहीं है कि मैं सब के कोटेशंस याद रख सकूँ। सर, अगर क्वोट करना अलाउ नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, आप मुझे बता दें। मैं क्वोट कर रहा हूं इंडिविज्युयल कन्वेशंस जो दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में हैं। अब अगर मेरी भी मेमरी उनके जैसी जो जाए तो शायद मैं भी क्वोट अंदाजे से कर दूँगा। This is a very serious matter because I don't want even one comma or full stop to be changed.

Now, I come to data protection. "Conventional information privacy protections are known as 'Fair Information Practices' (FIP) in current parlance. The development of a frontier free Internal Market in the European Union and the rise of modern 'information society' led the European Union to issue strict directives to protect the personal data of its 370 million people. European companies require companies to tell customers when they plan to sell their personal information to other firms. However, American regulations would not provide such protections. These differences are there in different countries. The basic difference between the United States and the European Union is that while in the European Union countries privacy is social values oriented बिकाज़ वे जरा ट्रेडिशनल हैं यूरोपयन। In the United States, business and commercial interests take precedence. उनको खाली बिज़नेस से मतलब है। These are the guidelines concerning computerised personal data files." In order to have the most effective protection of his private life, every individual should have the right to ascertain in an intelligible form whether, and, if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes. Every individual should also be able to ascertain which public authorities or private individuals or bodies control or may control their files. If such files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the provisions of the law, every individual should have the right to request rectification or elimination." इस बारे मैं आप विचार कर लैं।

Data mining today is used extensively by businesses without the individual's knowledge or participation. A life insurance company managed to acquire data about customers who shopped for children's clothes regularly. They used the information to mail their product to these people and the response was that 40 per cent of these card holders ended up buying child insurance product of the insurance company.

Now, I will explain some salient features of privacy laws in some other countries. "The Constitutions of Argentina, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, Czechoslovakia, Estonia, Finland, Greece, Hong Kong, Hungary, Israel, Italy, Japan and South Korea explicitly mention the right to privacy and in some form or the other the four aspects of privacy mentioned above find place in these Constitutions. The Constitution of Argentina states "The home is inviolable as is personal correspondence and private papers; the law will determine what cases and what justifications may be relevant to their search or confiscation. The private actions of men that in no way offend order nor public morals, nor prejudice a third party, are reserved only to God's judgement and are free from judicial authority. No inhabitant of the Nation will be obligated to do that which is not required by law, nor be deprived of what is not prohibited."

The Constitution Act of Finland states, "The private life, honour and home of every person shall be secured. The secrecy of correspondence and of telephone and other confidential communications shall be inviolable."

The Constitution of Japan states, "the secrecy of any means of communication should not be violated. The right of all persons to be secure in their homes, papers and effects against entries, searches and seizures shall not be impaired except upon warrant issued for adequate cause and particularly describing the place to be searched and things to be seized. Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued by a competent judicial officer."

आपको बताना चाहता हूँ कि जब यह रेड के लिए आते हैं जैसे कुमकुम राय जी ने कहा है कि यदि ये किसी के घर में आते हैं तो वहां बताया गया कि इस मकान में तो चार भाई रहते हैं, सब अलग-अलग हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनके पास ब्लैंक कागज होता है जिस पर वे साइन करके उसको देकर के दूसरे भाईयों पर भी रेड कर देते हैं, सालों पर भी कर देते हैं तथा सालों के सालों पर भी कर देते हैं। इस प्रकार इसका कोई अंत नहीं है क्योंकि उनके पास सब ब्लैंक में होता है।

उपसभाधक्ष (श्री ए० के० पटेल) : इसको खत्म कीजिएगा ।

श्री संतोष बागड़ोदिया : सर, अगर कोई लो है कि मुझे चुप हो जाना चाहिए तो मैं एक सेकेंड में चुप हो जाऊंगा। और अगर मेरा अधिकार है बोलने का तो कृपा करके मुझे बोलने दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: बागडोदिया साहब, यह अधिकार नहीं है जो आपने पढ़ा है। आप खुद वाइस चेयरमेन की सीट पर बैठते हो You cannot read from a paper which is neither a part of any judgement nor a part of any proceeding. You are simply reading from some articles, and, that too, in many respects, which are irrelevant.

श्री संतोष बागडोदिया: सर, मुझे आपसे इसकी रूलिंग चाहिए क्योंकि मैं उनकी रूलिंग तो मानने वाला नहीं हूं क्योंकि आप चेयर पर बैठे हैं। मैं किसी को कोट करने के लिए पढ़ सकता हूं या नहीं? कुछ कंट्रीज के कंस्टीट्यूशन को काफी स्टडी करके मैंने एक-एक कंट्री के कंस्टीट्यूशन के बारे में कोट किया है और यह कोटेशन यदि कहीं एलाउड नहीं है तो मुझे बतला दें कि कौन से लोंग में एलाउ नहीं है।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): हर बार कोट किया जाता है, हजारों मिसालें मौजूद हैं। We can quote.

श्री संतोष बागडोदिया: अभी मैं दूसरा बतला रहा हूं खास करके गौतम साहब की नॉलेज के लिए। "In the Czech Republic in 1992, the Interior Ministry sold the addresses of all children under the age of two and all women between 15 and 35, which totals to about two million people, to Proctor and Gamble. This information was used by the company for a campaign for direct marketing for Pampers diapers. An Unauthorised CD-Rom listing all telephone numbers in the Czech Republic even included the home number of President Havel." इस तरह की इंफार्मेशन लोग देते हैं। which is not right. "The State of Hessen in Germany was the first state worldwide to enact data protection laws in 1970." "in Canada, the most provincial legislation is titled, "Freedom of Information and Protection of Privacy", which are the two sides of the same coin." The Act on Protection of Personal Data in Information Systems was adopted in 1992 in the Czech Republic. The Act requires that there should be legal authority for collection of personal data regarding race, nationality, criminal records, health, property, etc., and should be used for the specific purpose for which it was collected. "In Argentina, the Constitution provides a right of habeus data. It states, 'Every person may file an action to obtain knowledge of the data about them and its purpose, whether contained in public or private registries.'" मैं ऑनरेबिल मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर हमारे बारे में आपने कोई रिकार्ड रखा हुआ है अपने डिपार्टमेंट में, जाहे रेड में हो या बिना रेड में हो उसकी कॉपी तो हमें दें। उसकी कॉपी भी आप हमें नहीं देते। every person has a right.

"An attempt by the State in Australia to give a national identification card and number to all citizens led to widespread protests, and the consequence was the Privacy Act of 1988." Today, G.P.S.(Global Positioning System) devices can trace an individual anywhere whether it is for marketing or for other purposes. According to figures, an average Briton is recorded 300 times a day by CCTV cameras. If that is not enough, future technology will allow low-level radiation to see through clothing walls or cars even.

Now, let us compare it with the Indian Constitution. "The Indian Constitution does not recognize -- Mr. Minister, Sir, -- the right to privacy as a fundamental right though it has been interpreted as an integral part of the right to life by the Supreme Court (*Kharak Singh vs State of Uttar Pradesh*). However, there is no legal remedy for an individual, if his privacy is violated as it is ever so often."

Under Article 21, courts can be approached if the offender is a government agency, but this right cannot be invoked against private individuals. Kindly refer to Maneka Gandhi's case against Khushwant Singh for the references in his book "Truth, Love and a Little Malice".

The debates in Parliament on the proposed Constitutional Amendment to include specifically, the right to privacy have so far highlighted the high-handedness of the officials during raids conducted by Income Tax, or other enforcement departments, or the police. One Member has even referred to it as an exercise of power by officials in order to demonstrate that they are in control. The misuse of power in administration and all its attendant ills are really a throwback to British rule. The assertion of authority and power by a foreign imperialist power administering a colony is, by nature, diametrically opposite to democratic principles of Government based on the rule of law. Unfortunately, the same mindset continues to prevail in the administration of India. A policeman is not a friend, whom you may accost on the road and seek his help or look upon him as a saviour in times of difficulty. He is always to be feared and avoided. He wields his authority with his baton and his lathi and impinges on the privacy of citizens at will.

Ever so often, one reads in the newspapers about income tax raids in various premises along with the details of what was recovered -- it is never known with certainty where the truth lies and even if such

raids have either a newsworthy quality or act as a deterrent, it is not clear what prompts the income tax authorities from disclosing to the press the details of the case.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: What is article 21? You are referring from the Constitutions of foreign countries; it is here, in our Constitution itself.

SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI : What is there in the Constitution?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Article 21. It is related to privacy.

श्री संतोष बागड़ोदिया: मेरी बात तो आपने सुनी ही नहीं, उससे पहले हो उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. K. PATEL): Mr. Bagrodia, you have taken a lot of time.

श्री हरिन पाठक: महोदय, मेरी जानकारी के लिए मैं जानना चाहूँगा कि हमारे देश की संविधान की धारा 21 और उससे संबंधित जो हमारे कानून हैं, उसकी टिप्पणियां किस किताब से कोट कर रहे हैं? क्या ये किसी देश की बुक से पढ़ रहे हैं? यह आप कहां से पढ़ रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ? यह कौन कहता है कि पुलिस हमारी साथी है, यह आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री संतोष बागड़ोदिया: ये सारी चीजें मैं लाइब्रेरी से...

श्री हरिन पाठक: आप किस किताब से पढ़ रहे हैं?

श्री संतोष बागड़ोदिया: इतनी किताबें से रैफरेंस लिया है और सारे रैफरेंसिज मैं आपको भेज दूँगा क्योंकि आज अभी अगर मैं आपको सबके नाम बताऊँगा तो फिर कहेंगे कि ज्यादा समय ले लिया। इसलिए मैंने नाम देकर बताए हैं... (व्यवधान)...

श्री हरिन पाठक: मैं आपसे निवेदन करूँगा क्योंकि आप इस सदन के बहुत सीनियर सदस्य हैं कि विदेशों की किसी भी किताब द्वारा हमारे देश के संविधान के बारे में की हुई टिप्पणियां, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं हैं। ऐसा मेरा मानना है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: एक गलती हो गयी। आप समझे नहीं... (व्यवधान)... एक मिनट, आप मेरी बात समझे नहीं।

श्री हरिन पाठक: मेरा मानना है कि ... (व्यवधान)... क्या कॉन्स्टीट्यूशन है, नीदरलैंड के लेखक ने भारत के संविधान के बारे में, भारत की पुलिस के बारे में क्या कहा। मुझे लगता है कि अगर आज उचित समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: मंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूं।...(व्यवधान)... सर, एक मिनट। मैं उनकी बात का जवाब तो दे दूं। ... (व्यवधान)... आप बोल दीजिए। मैं बैठ जाता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Only two hours have been allotted for the discussion and you have already taken much of the time. Please, try to conclude it.

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, पहले उन्होंने जो बात कही है, इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन वाली बात मैंने कहीं से नहीं ली है। जो यहां डिसकशन हुआ है, उससे मैंने नोट बनाया है। मैंने इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन...(व्यवधान)...

SHRI HARIN PATHAK: You have referred to some country, and mentioned that somebody has said that the Indian Constitution does not have any privacy policy. Please, clarify.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have only said that अब मैं इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में बोल रहा हूं। मैंने खाली इतना कहा। मैंने यह कभी नहीं कहा। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर मैंने कहीं भी कहा हो कि दूसरी कंट्री के लोगों ने रैफर किया तो यह मेरे लिए भी खराब बात है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ... (व्यवधान)... मैं उसी सिस्टम में बोलता गया इसलिए आपको कम्फ्यूजन हो गया लेकिन ये जो थारें... (व्यवधान)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I have got a point of order.

उपसभाध्यक्ष (डा० ए०क० पटेल): देख लीजिए। अगर है तो...

श्री संतोष बागड़ोदिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा० ए०क० पटेल): अगर ऐसी कोई बात कही गयी है तो...

श्री संतोष बागड़ोदिया: महोदय, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। यह कई दिनों से चल रहा था। या तो मैं हा० पार्टीसिपेंट का नाम लेकर उसमें जो बातें हैं, वह बोलता। उनको सबको संक्षेप में बनाकर मैंने यह नोट तैयार किया है जिससे जो अंतिम पोर्शन है, उसमें ज्यादा वक्त न लगे। इसलिए मैंने रैफरेंस दिया है। इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन की बात किसी भी दूसरे देश की बात नहीं है, यह हमारी अपनी बात है। इस संबंध में सब लोगों ने जो कहा, उसी में से मैंने इसे संक्षेप में बनाया है और वही मैं कर रहा हूं। जैसा आपने कहा, मैं इसे पांच-सात मिनट में खत्म कर रहा हूं। There is no general privacy law in India, but privacy is guaranteed to some extent by other Indian laws. The honour and reputation of an individual can invite criminal action. Confidentiality in bank transactions is protected by Public Financial Institutions Act of 1993.

The Indian Telegraph Act, 1985 regulates wiretapping and an order for wiretapping can be issued.

श्री संघ प्रिय गौतम: कहां से पढ़ रहे हैं आप? वाईस चेयरमैन सर, ये कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री संतोष बागड़ोदिया: अगर इस तरह से ये डिस्टर्ब करते रहेंगे तो यह डिसकशन कभी खत्म नहीं होगा। यह ऐक्ट 1885 का है। मैं ऐक्ट की बात कर रहा हूं, उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है। ... (व्यवधान)... हर सेंटेस में इनको ऑब्जेक्शन हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (डा० ए० के० पटेल): अब काफी समय हो गया है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: समय हो गया है, आप बोल सकते हैं लेकिन ये अगर हर सेंटेस में ऑब्जेक्शन करेंगे तो यह समय और ज्यादा बढ़ता रहेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप उनको भी थोड़ा रोकें तो मैं जल्दी से खत्म करूँ।

The Indian Telegraph Act, 1985 regulates wiretapping and an order for wiretapping can be issued only by the Union Home Secretary or the Home Secretaries of States. However, wiretapping by Government agencies continues as numerous scandals in India bear witness to the snooping by agencies. The Indian Telegraph Act of 2000, India's first set of cyber laws, mentions privacy under Section 72—breach of confidentiality and privacy if a Government official passes an electronic data that has been received in his official capacity. It is now being realized that there is an urgent need to legislate for the protection of individual privacy.

मंत्री जी, यह पोर्शन भी आप सुन लें।

Now, there is an urgent need to legislate for the protection of individual privacy.

यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने कहा कि आवश्यकता नहीं है।

However, ensuring the right to privacy has a much wider connotation. It includes also the protection of personnel data and information. A good question would be to ask whether the law offers privacy protection to ordinary citizens with respect to his health records, tax records, bank records, criminal records, etc. In India, we are still to realise the intrusion to our privacy when we use credit cards.

इसके अलावा बातें तो बहुत हैं। मैं उतनी बातें नहीं बोलूँगा आप चिंता मत करें। मैं फटाफट बोलूँगा। एक केस आया ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट का। अभी-अभी पब्लिश हुआ था। किसी ऑफिसर के घर में कोई ऐसे डॉक्युमेंट्स पाए गए जो कि पंद्रह दिन पहले अखबारों में छप चुके थे। उस बेसिस पर ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट में अंबानी जी के घर पर, जिनकी अब मृत्यु भी हो चुकी है, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान को बता दिया कि एक हिंदुस्तानी भी किस तरह से वेलथ क्रीएट कर सकता है, जिसने करोड़ों आदमियों को करोड़पति बना दिया। आज हिंदुस्तान का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, जिस प्रोडक्शन के कारण हिंदुस्तान के लोगों को माल मिलता है, सामान मिलता है, उस आदमी के घर में... मैं यह नहीं कहता कि लों के ऊपर कोई है, मैं यह नहीं बोलता लेकिन जिसके यहां लाखों आदमी काम करते हैं, उसके किसी एक नुमाइंदे के यहां अगर कोई कागज पकड़ा जाए तो इसका मतलब क्या यह है कि आप चेयरमैन के घर चले जाएं और उसके बोलों कि कोई मैं वह पेश हो? ये बातें समझने की आवश्यकता है। यही नहीं, हमारे कुछ साथियों ने यह भी क्लोम किया कि उनको तुरंत पोटा में अरेस्ट किया जाए। इसमें पोटा का चबकर कहां से आ गया? इसलिए हमें भी थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा अपने आपको इस तरह की बातें कहने से पहले। साथ ही यदि ऑफिसर लोग इतनी आर्बिट्रेशनी काम कर रहे हैं तो मंत्री जी, आप कुछ न कुछ कीजिए।

ऑफीशियल सीक्रेट्स एक्ट में हमारे वासी अखतर जैदी, मोहम्मद असलम, इन लोगों को भी पकड़ा कुछ नहीं निकला। मैं केवल उदाहरण के तौर पर फटाफट बोल रहा हूँ। हमारे जिलानी साहब को भी कश्मीर में पकड़ा, कुछ नहीं निकला। अब केवल एक-दो बातें और बोलकर मैं समाप्त करूँगा। मैंने पांच मिनट कहा था, मैं पांच मिनट में खत्म कर दूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा० ए० के० पटेल): अब से पांच मिनट पहले आपने कहा था।

श्री संतोष बागड़ोदिया: बस एक-एक मिनट में बोल देता हूँ। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि जब तक लों को हम एक दृष्टि से न देखें-एक आंख से देखना पड़ेगा सबको, आगर लालू प्रसाद जी ने कोई क्राइम किया है, कोई गलती की है तो उनके साथ कड़े से कड़ा काम हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें लेकिन अफसर होते हुए जिसके घर में अगर नारकोटिक्स जैसी चीज पाई जाए और यह भी नहीं कि कोई बीस तल्ले का मकान है, यह भी नहीं कि एक तल्ले में हुआ और बीस तल्ले में क्या हो रहा है, पता नहीं। दो तले का मकान, वह मकान आज दस हजार रुपए में भी कोई दे तो बहुत लोग इसे लेने के लिए तैयार हैं। उस मकान में अगर नारकोटिक्स जैसी चीज पकड़ी जाए और उस अफसर के साथ रियायत बरती जाए तो हिंदुस्तान में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। कस्टोडियन का मैंने उदाहरण दिया कि पुलिस आफोसर एक चार्टर्ड अकाउंटेन्ट को बुलाकर अपने आप उसकी कार्रवाई करना चाहता है और एक आदमी जिसके घर पर नारकोटिक्स

एक ड़ाग गया—आज अगर एक आदमी गाड़ी में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाए तो गाड़ी के मालिक को नहीं पकड़ेंगे। मंत्री जी, आप इस बारे में ध्यान दें, अगर 300-400 के से एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दिए जाएं, इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो मेरी समझ में हमारा हिंदुस्तान जो स्वतंत्र है, वह परतंत्र से भी बदतर हो जाएगा। इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो जो हमारी कंट्री इंडिपेन्डेंट मानी जाती है, जिस पर हमें अभिमान है, सारी दुनिया में अभिमान है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर कहां पर किसी तरह की ज्यादती कहीं नहीं हो सकती, कोई पोलिटिकल बैंडेट नहीं होगा, पोलिटिकली आगर कोई पार्टी हारती है, नई पार्टी उसे बड़ी पीसफुली टेक ओवर करती है, चाहे स्टेट में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी हो, आज हो, कल हो, पहले हो, सब कुछ होता है, उस देश में अगर हम इस तरह का पोलिटिकल बैंडेट करेंगे तो उसे रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नर्मेंट की भी आवश्यकता है। यह सेंट्रल गवर्नर्मेंट का कर्तव्य बनता है। यह कह देना कि लोग ऑर्डर स्टेट सम्बेदन है तब हम कहां जाएँ? हमारे विरोध में, हमारे ही प्रदेश में अगर कोई एक्शन ले रहा है तो वह गलत है। तब सेंट्रल फेडरल सिस्टम किस बात का हुआ? अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है और दिल्ली सरकार हमें हैल्प न करे तो यह फेडरल सिस्टम किस वास्ते हुआ? इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मेरी बात थोड़ी शांति और थोड़ी अशांति से सुनी, मुझे कहने का भौका दिया—बातें बहुत हैं लेकिन मैं उन्हें चिट्ठी-पत्री से बता दूंगा, मेरा यह कहना है कि आप इसमें कुछ करें। जो इतनी शिकायतें हैं, जिसके लिए पच्चीस-पच्चीस एम.पी. बोलते हैं, उस शिकायत को आप ऐसे ही मत उड़ा दीजिए कि यह बहुत व्यापक है इसलिए इसमें किसी चेंज की आवश्यकता नहीं है। इसमें नहीं तो किसी दूसरे लोगों में चेंज कीजिए। कुछ कीजिए, मेरबरानी होगी, आप ऑर्डरनरी सिटीजन का भला करेंगे और गवर्नर्मेंट का नाम करेंगे। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम: वैधानिक आपत्ति यह है कि आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21(ए) ऑलरेडी पास हो गया है, एबाउट एजुकेशन इसलिए यह हो ही नहीं सकता है। यह वैधानिक है। आर्टिकल 21(ए) इज ऑलरेडी देअर।

श्री हरिन पाठक: उपमध्याध्यक्ष जी, मैं पुनः माननीय सदस्य मंतोंग जी का आभागी हूँ कि काफी व्यापक रूप में आपने इस विषय में अपने विचार रखे हैं। शुग्रात में जब आपने यह विन इंट्रोइन्यूज किया था तब मैं यहां नहीं था। मुझ पर मंत्रिपरिषद में और जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूँ कि यह जो आपका मूल विषय है, “वैयक्तिक एकांतता का अधिकार”, यह विषय एक पुण्य अलग विषय है और उससे उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित न हो, और हो, ऐसी कई मार्ग घटनाएँ हैं, जिसका जिक्र हम सबने एक साथ मिलकर किया है। उम्में उम्मका सीधा संबंध नहीं बनता है। आप आर्टिकल 21 को पढ़ाएं तो उम्में भी कहा गया है कि, “Article 21: Protection of life and personal liberty - No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”

देश का बहुत बड़ा संविधान है। कस्टम, एक्साइज जैसे कई सारे कानून हैं। उस कानून के अंतर्गत अपराध होते रहते हैं। उस कानून के अंतर्गत भाराएं भी हैं। उस कानून के अंतर्गत विभिन्न जांच एजेंसियां काम करती हैं। मैं मानता हूं कि कई जगह पर कई जांच एजेंसियों में कहीं कार्य-प्रणाली में अगर क्षति हो, अगर वे अपना कार्य ठीक तरह से न करें तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि मैं यह नहीं कहता कि कहीं न कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मगर जो कमजोरी है वह कानून में नहीं है, कमजोरी कहीं आगर हमें दीखती है, कई इंसीडेंट्स आपने बताएं हैं, कई माननीय सदस्यों ने बताएं हैं तो वह इंसीडेंट्स है। उस कार्य-प्रणाली में जो हमारी जांच एजेंसीज़ हैं, तलाश करने वाली, छापा मारने वाली, ये जो कानूनी एजेंसीज़ हैं उनको हमें स्ट्रेथन करना चाहिए। मैं यह जरूर कहता हूं और मैंने कहा है कि बार-बार जब ऐसी-ऐसी घटनाएं सरकार के ध्यान में आती हैं, तब सभी कानूनी एजेंसियों को सरकार ये दिशा-निर्देश देती रहती है कि आप ठीक तरह से कानून के अंतर्गत अपना कार्यकलाप करें। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा और मैंने कहा भी था कि आवश्यकता पड़ने पर ये कानून की हमारी जो जांच एजेंसीज़ हैं वे सख्ती से अपने अधिकारों के अंतर्गत काम करें। वे जरूर उन्हें हम दिशा-निर्देश देंगे। सबाल एजेंसियों को सिर्फ दिशा-निर्देश देने का है कि वे ठीक तरह से वर्ताव करें ताकि जो आपने बताया कि ऐसी घटनाएं न बनें तो उन घटनाओं को रोकना है तो हमारी जो एजेंसीज़ काम करती हैं, उन्हें कानून के अंतर्गत काम करना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया: आप सिर्फ एक सैकंड थील्ड कर दीजिए। ये जो एजेंसीज़ आप योल रहें हैं उसमें खाली एक लां और बना दीजिए, अगर संभव है, कि कोई भी जगह पुलिस वाले या कोई भी एजेंसी जाए तो वहां उस आदमी का राइट है कि बुकील को बुलाकर वह भी समझे कि क्या लां है और एजेंसी वाले यह न बोलें कि क्या बुकील को नहीं बुला सकते।

श्री हरिन पाठक: मैं इसलिए नहीं इस पर कह रहा हूं कि यह इसके साथ फिर जुड़ जाता है कस्टम एक्साइज़ और फाइनांस फिनिस्ट्री, उनको भी अपने विचार रखने पड़ेंगे। मैं इस स्तर पर नहीं कह सकता कि कस्टम, एक्साइज़ में से अगर कोई रेड होगी तो उसके लिए कौन आदमी होगा। मैं व्यापक रूप से सरकार की ओर से यह जरूर कहना चाहूंगा, कि जहां-जहां दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता है, हम बार-बार देते हैं और इन विचारों को जान करके, इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए और भी दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता होगी तो हम जरूर दिशा-निर्देश देंगे और अगर एक कंसेसस बना तो उस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है।

THE VICE CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Mr. Bagrodia. are you willing to withdraw the Bill?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I am withdrawing the Bill so that the Government is not embarrassed.

THE VICE CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Has Shri Santosh Bagrodia the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn

THE NATIONAL COMMISSION FOR SAFE FOOD AND WATER BILL, 2003

***श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

“कि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य और जल उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय सुरक्षित खाद्य और जल आयोग की स्थापना और तत्संसक्त मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूँ, मैं बताना चाहूँगा कि यह बिल क्यों लाया गया और इसकी क्या बजह है, हमारे मुल्क में इस तरह का कमीशन क्यों बनाया जाए। मेरे ख्याल से गौतम साहब आप बड़े गौर से सुन रहे होंगे।(व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल, यह कमीशन का फॉर्मेशन, क्यों इस मुल्क में जरूरी है, मैं इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे बुनियादी बात यह है कि “सेफ फूड टू आल सिटिंग्स” यह एंश्योर करना हमारा काम है। हम देखते हैं कि आज का सीन क्या है। हमारे पास फूड एडलेशन एक्ट, 1998 था। इस एक्ट के अंतर्गत हिन्दुस्तान में कितनी जगहों पर कितने केंसेज़ हुए, यह रैटीफाई करने के बाद स्टेट का सब्जैक्ट बन गया। कितने केंसेज़ हुए और खाना अगर स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, अगर पानी स्वच्छ नहीं है, जिसे आव-ए-ह्यात कहा जाता है, अमृत जल कहा जाता है, तो फिर कैसे हमारे मुल्क के आम शहरियों की, नागरिकों की सेहत ठीक होगी, कैसे हमारे फौजियों की सेहत अच्छी रहेगी, कैसे हमारे बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, आज इसका सवाल है?

वाइस चेयरमैन साहब, अगर मुल्क के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। यहां राइट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन राइट ऑफ हैल्दी लाइफ भी होना चाहिए। अगर आप यह करना चाहते हैं, अगर इसे बुनियादी बात बनाना चाहते हैं तो कमीशन का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सूरत-ए-हाल यह है कि जिस जगह के भी टेप बाटर को चैक कर लिया जाय, वह पूर्णतः शुद्ध नहीं होगा। आज तो डिस्ट्रिल्ड बाटर की बोतलों में भी पेस्टीसाइड्स मिल रहे हैं जिन्हें बाजार में 6 से 12 रुपए में बेचा जा रहा है। अब सारे मुल्क के टैपों से निकलने

*Urdu script will follow.